



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/12 (बी)/09 (खण्ड XXXII)/7799
SPMCIL/VIG/12 (B)/12 (Vol 32)/

दिनांक: 29.03.2016
Date: 29.03.2016
31

परिपत्र संख्या 08/16/CIRCULAR NO. 08/16

विषय/Sub: सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र के संदर्भ में/Vigilance Clearance Certificate-
reg. उपशीर्ष: सेवानिवृत्त मामलों के संदर्भ में/Retirement cases - reg.

सतर्कता विभाग ने यह पाया है कि संगठन से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया जा रहा है जो कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.06.2011 के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है।

It has come to the notice of Vigilance Department that Vigilance Clearance are not being taken for the employees being retired from the organization which is not in line with the guidelines of Vigilance Department issued vide circular dated 24.06.2011.

2. इस संदर्भ में सभी इकाइयों को यह सलाह दी जाती है कि सेवानिवृत्त होने वाली पदधारियों का सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र यथा उचित समय पर लेना सुनिश्चित करें।

In view of this, all units are advised to ensure that the Vigilance Clearance is taken for the employees being retired at appropriate time.

3. सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

3. All concerned are hereby advised to note these guidelines for strict compliance. If these guidelines continue to be flouted in future it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite a vigilance angle.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

प्रतिभूति मुद्रण
30/3/16

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/12 (बी)/09 (खण्ड XXXII)/7299
SPMCIL/VIG/12 (B)/12 (Vol 32)/

दिनांक: 29.03.2016
Date: 29.03.2016

- 2 -

4. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
4. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
5. This issues with the approval of Competent Authority.

शशिभूषण बेहेरा
(शशिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
2. निदेशक (मा.सं./तक.)/मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.
3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.)।/Addl. GMs (CHO).
4. उप महाप्रबंधक (तकनीकी)/उप मु.स.अ./DGM (Tech)/Dy. CVO.
5. मुख्य प्रबंधक (मा.सं.)/Chief Manager (HR).
6. प्रबंधक (नि.मु.)/Managers (CHO).
7. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.मु./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
8. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.